

कार्यालय संचालक

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड भोपाल - 462016

दूरभाष 0755-4082502, 4082525 e-mail: mpwalmi@gmail.com

दिनांक 07/06/2021

वाल्मी/डब्ल्यू-03/टी.एस./17-ए/2020-21/2990

कार्यालयीन आदेश

म.प्र.शासन, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/20008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 में निहित प्रावधानों अनुसार संस्थान के निम्नलिखित कर्मचारियों/कर्मचारियों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 28 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतन बैंड + ग्रेड पे	देयता तिथि	20 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतन बैंड + ग्रेड पे	देयता तिथि	30 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर वेतन बैंड + ग्रेड पे	देयता तिथि
श्री जे.के. गुप्ता	सहायक यंत्री	06.10.1987	—	—	—	—	15600-39100 + GP 6600	28 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय समयमान दि. 06.10.15 से देय
श्री एन. के. पारे	समयपाल	27.12.1995	5200-20200 + GP 2400	01.04.06 से देय	5200-20200 + GP 2800	27.12.2015 से देय	—	—
श्री सत्यपाल सिंह	समयपाल	27.12.1995	5200-20200 + GP 2400	01.04.06 से देय	5200-20200 + GP 2800	27.12.2015 से देय	—	—

समयमान वेतन स्वीकृति पश्चात् वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जायेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतन में ही चला आ रहा है तथा उसे समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला है।

समयमान वेतन में फलस्वरूप कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

क्त कर्मचारियों को विरुद्ध यदि कोई वसूली की स्थिति हो तो पहले वसूली की जायेगी।

रोक्त तालिका में दर्शाये गये वेतनमानों में वेतन निर्धारण स्थानीय निधि संपरीक्षा की जांच के अध्यक्षीन रहेगा एवं जांच में कोई त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार सुधार एवं की कार्यवाही संबंधित सेवक से की जावेगी।

प्रशासन वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 में निहित प्रावधान यथा स्थिति में लागू होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी भोपाल

दिनांक 07/06/20120

/वाल्मी/डब्ल्यू-03/टी.एस./17-ए/2020-21/290

मपि

(संबंधित) की ओर सूचनार्थ।

श्री/श्रीमती

लेखा शाखा, वाल्मी भोपाल।

स्थापना शाखा(व्यक्तिगत नस्ती) वाल्मी भोपाल।

वेबसाइट समिति, वाल्मी भोपाल।

गार्ड नस्ती।

निज सहायक(संचालक कक्ष) वाल्मी भोपाल।

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी भोपाल